दिनांक 19.07.2016 को निदेशक, सूडा की अध्यक्षता में आयोजित बी0एस0यू0पी0 / आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थितः–

1. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निदेशक, सूडा, लखनऊ।
2. श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियन्त्रक, सूडा, लखनऊ।
3. श्री अतुल सिंह चौहान, कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ।
4. श्री अमर सिंह, सहा0 परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 मुख्यालय, लखनऊ।
5. श्री राजेश वर्मा, परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–8, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. श्री यशवन्त सिंह, परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–14, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. श्री आर0एस0 सिंह, सहा0 परि0 प्रबन्धक, यूनिट–29, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोरखपुर।
8. श्री एस0के0 पाण्डेय, परि0 प्रबन्धक, यूनिट–11, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, फैजाबाद।
9. श्री सन्दीप कुमार, सहा0 परि0 प्रबन्धक, यूनिट–17, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. श्री शब्बीर हसन, परि0 प्रबन्धक, यूनिट–10, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, कानपुर।
11. श्री सी0बी0 मिश्रा, परि0 प्रबन्धक, यूनिट–16, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, मिर्जापुर।
12. श्री अवधेश राय, परि0 प्रबन्धक, यूनिट–2, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, इलाहाबाद।
13. श्री जी0सी0 सिंह, सहा0 परि0 प्रबन्धक, यूनिट–3, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, वाराणसी।
14. श्री एम0 पाण्डेय, सहा0 परि0 प्रबन्धक, यूनिट–19, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, आजमगढ़।
15. श्री प्रभात कुमार मिश्रा, परियोजना अधिकारी, डूडा, प्रतापगढ़।
16. श्री एस0डी0 राय, परियोजना अधिकारी, डूडा, फतेहपुर।
17. श्री शैलेन्द्र भूषण, परियोजना अधिकारी, डूडा, भदोही।
18. श्री पी0के0 दास, परियोजना अधिकारी, डूडा, चन्दौली।
19. श्री प्रमोद कुमार यादव, परियोजना अधिकारी, डूडा, गोरखपुर।
20. श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी, डूडा, इलाहाबाद।
21. श्री हरेराम यादव, परियोजना अधिकारी, डूडा, आजमगढ़।
22. श्री सतीश चन्द वर्मा, परियोजना अधिकारी, डूडा, लखनऊ।
23. श्रीमती ऊषा त्रिपाठी, परियोजना अधिकारी, डूडा, मिर्जापुर।
24. श्री पी0के0 गुप्ता, परियोजना अधिकारी, डूडा, कुशीनगर।
25. श्रीमती अरूनाभा पाण्डेय, परियोजना अधिकारी, डूडा, सन्त कबीर नगर।
26. श्री अमर सिंह चौधरी, सहा0 परियोजना अधिकारी, डूडा, गाजीपुर।
27. श्री जे0एच0 कुशवाहा, सहा0 परियोजना अधिकारी, डूडा, कौशाम्बी।
28. श्री एल0के0 सिंह, सहा0 परियोजना अधिकारी, डूडा, बस्ती।

बी0एस0यू0पी0 योजना

1. इलाहाबाद–244 / 210 आवास

सर्वप्रथम कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि इस परियोजना की वर्किंग कास्ट की पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। ए.एण्ड.ओ.ई. की रु0 77.06 लाख की धनराशि अवशेष है जो कि परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् देय होगी। इस पर परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 ने अवगत कराया कि सभी 210 आवास पूर्ण कर लिये गये हैं, केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा कार्य

अवशेष है, जिसके अन्तर्गत तीन ओ0एच0टी0 बनाये जाने प्रस्तावित है, परन्तु स्थान न मिल पाने के कारण व बस्ती में पेयजल व्यवस्था मौजूद होने के कारण अभी तक नहीं बनाया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्णय किया जाना है कि ओ0एच0टी0 बनेगा या नहीं। डूडा द्वारा लाभार्थी अंशदान की धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है, जबकि आवासों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है और लाभार्थी अंशदान के बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य छोड़ने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना निदेशक, डूडा द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.01.2014 से कार्यदायी संस्था को लाभार्थी अंशदान की राशि के बराबर कार्य छोड़ने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। यह भी अवगत कराया गया कि लाभार्थी अंशदान के बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य नगर निगम द्वारा अवस्थापना मद से करा दिया जायेगा। निर्देशित किया गया कि लाभार्थी अंशदान की राशि के बराबर कार्य छोड़ दिया जाये। आवास पूर्ण हो जाने की दशा में लाभार्थी अंशदान जितना कार्य नगर निगम की अवस्थापना मद से करा दिया जाये। जिलाधिकारी से एक सप्ताह में ओ0एच0टी0 बनने के सम्बन्ध में निर्णय करा लिया जाये तथा ओ0एच0टी0 न बनने की दशा में उतनी धनराशि सूडा को वापिस कर दी जाये। शीघ्र ही परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र डूडा द्वारा सूडा को उपलब्ध करायें। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि अक्टूबर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, इलाहाबाद/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–2)

2. <u>इलाहाबाद–483/438 आवास</u>

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि सभी 438 आवास पूर्ण हो चुके हैं व इन्फ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा कार्य अवशेष है, जिसमें पेयजल हेतु स्थान नहीं मिल पा रहा है। डूडा द्वारा लाभार्थी अंशदान की धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है, जबकि आवासों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है और लाभार्थी अंशदान के बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य छोड़ने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि लाभार्थी द्वारा अंशदान की राशि जमा नहीं की गयी तथा लाभार्थी अंशदान के बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य नगर निगम द्वारा अवस्थापना मद से करा दिया जायेगा। कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा 45 आवास सरेण्डर किये गये थे, जिसके क्रम में वर्किंग कास्ट में रु0 84.52 लाख भारत सरकार को वापिस किये जाने हैं। निर्देशित किया गया कि लाभार्थी अंशदान की राशि के बराबर कार्य छोड़ दिया जाये। परियोजना अधिकारी से सम्पर्क कर जगह चिन्हित कर ली जाये तथा जगह न मिलने की दशा में उतनी धनराशि सूडा को वापिस कर दी जाये। परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा सभी आवासों को शीघ्र आवंटित कर दिया जाये। शीघ्र ही परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र डूडा द्वारा सूडा को उपलब्ध करायें। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि अक्टूबर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, इलाहाबाद/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–2)

3. <u>इलाहाबाद–411/345 आवास</u>

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 322 आवास पूर्ण हो चुके हैं, 23 आवास प्रगति पर है, जिन्हें अगस्त 2016 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा कार्य अवशेष है। डूडा द्वारा लाभार्थी अंशदान की धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी

है, जबकि आवासों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। लाभार्थी अंशदान के बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य छोड़ने हेतु कहा गया, जिस पर परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि लाभार्थी द्वारा अंशदान की राशि जमा नहीं की गयी तथा लाभार्थी अंशदान के बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य नगर निगम द्वारा अवस्थापना मद से करा दिया जायेगा। कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था को पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। निर्देशित किया गया कि लाभार्थी अंशदान की राशि के बराबर कार्य छोड़ दिया जाये। आवास पूर्ण हो जाने की दशा में लाभार्थी अंशदान जितना कार्य नगर निगम की अवस्थापना मद से करा दे, परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाये कि स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार ही कार्य कराये जाये। डी0पी0आर0 से अलग कोई कार्य न कराया जाये। परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा सभी आवासों को शीघ्र आवंटित कर दिया जाये। शीघ्र ही परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र डूडा द्वारा सूडा को उपलब्ध करायें। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि सितम्बर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, इलाहाबाद/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–2)

4. <u>इलाहाबाद/लोकपुर नैनी–233 आवास</u>

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 204 आवास पूर्ण हो चुके हैं, 29 आवास प्रगति पर है, जिन्हें अगस्त 2016 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा कार्य अवशेष है। डूडा द्वारा लाभार्थी अंशदान की धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है, जबकि आवासों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। लाभार्थी अंशदान के बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य छोड़ने हेतु कहा गया, जिस पर परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना निदेशक, डूडा द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.01.2014 से कार्यदायी संस्था को लाभार्थी अंशदान की राशि के बराबर कार्य छोड़ने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। यह भी अवगत कराया गया कि लाभार्थी अंशदान के बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य नगर निगम द्वारा अवस्थापना मद से करा दिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में सर्वप्रथम 192 आवासों का आवंटन कर दिया गया है, जिसमें 43 लाभार्थी अपने पुराने कैन्ट क्षेत्र के कब्जे वाले स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा शीघ्र ही आर्मी एवं तहसील के सहयोग से सभी लाभार्थियों को वहां से हटाकर आवासों में शिफ्ट कर दिया जायेगा। कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था को पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। निर्देशित किया गया कि लाभार्थी अंशदान की राशि के बराबर कार्य छोड़ दिया जाये। अवशेष कार्य लाभार्थी द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से करा लिया जायेगा। परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवशेष आवासों को भी शीघ्र आवंटित कर दिया जाये तथा आवंटित आवासों में लाभार्थी द्वारा कब्जा न लेने की दशा में उनका आवंटन निरस्त अन्य लाभार्थियों को नियमानुसार आवंटन कर दिया जाये। शीघ्र ही परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र डूडा द्वारा सूडा को उपलब्ध करायें। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि अगस्त 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, इलाहाबाद/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–16)

5. <u>लखनऊ–487/364 आवास</u>

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि सभी आवास पूर्ण हो चुके हैं, परन्तु इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य अवशेष है, जिसे दिसम्बर 2016 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। कार्यक्रम

अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था को पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। निर्देशित किया गया कि दिसम्बर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायें।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, लखनऊ/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–14)

6. <u>लखनऊ–346/181 आवास</u>

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि सभी आवास पूर्ण हो चुके हैं।। केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा कार्य अवशेष है, जिसे धनराशि प्राप्त होने पर पूर्ण कर दिया जायेगा। कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि अनु0–83 की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है, परन्तु वित्तीय स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। निर्देशित किया गया कि धनराशि प्राप्त होते ही अवमुक्त कर दी जाये। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि अक्टूबर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, लखनऊ/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–14)

7. <u>लखनऊ/चक मल्होरी–336 आवास</u>

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 256 आवास पूर्ण हो चुके हैं, 80 आवास प्रगति पर है, जिन्हें दिसम्बर 2016 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा कार्य अवशेष है। इस परियोजना में अभी पूर्ण धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि अनु0–83 की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। निर्देशित किया गया कि धनराशि प्राप्त होते ही अवमुक्त कर दी जाये तथा दिसम्बर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जाये।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, लखनऊ/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–14)

8. <u>लखनऊ–763/593 आवास</u>

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि सभी आवास पूर्ण हो चुके हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्य में सीवर लाईन का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण है, परन्तु सेप्टिक टैंक के लिए जगह नहीं मिलने के कारण 30 प्रतिशत कार्य छोड़ रखा है। सेप्टिक टैंक बनाने के पश्चात् सीवर लाईन डाल दी जायेगी। पहले से कोई सीवर लाईन न होने के कारण सेप्टिक टैंक बनाये जाने आवश्यक हैं। ट्यूबवैल का कार्य पूर्ण है, परन्तु सबमर्सिबल लगाये जाने शेष हैं। विद्युतीकरण के कार्य हेतु आगणन न मिल पाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त लाइवलीहुड सेन्टर में कुछ भू–भाग निजी होने के कारण कार्य बन्द है। नगर निगम द्वारा उन्हें अन्य स्थान पर उतनी ही भूमि देने के पश्चात् भी तैयार नहीं हो रहे हैं। परियोजना अधिकारी, डूडा लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था को पूर्व नगर निगम से जगह दिलायी गयी थी, परन्तु कब्जा न लेने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया। नगर निगम से सम्पर्क कर शीघ्र जगह उपलब्ध करा दी जायेगी। निर्देशित किया गया कि परियोजना अधिकारी सेप्टिक टैंक हेतु शीघ्र कार्यदायी संस्था को जगह उपलब्ध करायें। लाइवलीहुड सेन्टर का जितना भाग निजी क्षेत्र में आ रहा है, उतना भाग छोड़कर शेष भाग पर निर्माण कार्य पूर्ण कर दिसम्बर 2016 तक कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जाये।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, लखनऊ/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–8)

9. लखनऊ / उमरावहाता–176 आवास

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 128 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 48 आवासों के लिए भूमि नहीं मिल पा रही है, यदि शीघ्र भूमि मिल गयी तो दिसम्बर 2016 तक अवशेष आवासों को भी पूर्ण कर दिया जायेगा। निर्देशित किया गया कि परियोजना अधिकारी अवशेष आवासों हेतु शीघ्र कार्यदायी संस्था को भूमि उपलब्ध करायें। सभी आवासों को शीघ्र आवंटित कर दें तथा दिसम्बर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जाये।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, लखनऊ / परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–17)

आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

1. गोरखपुर–611 / 433 आवास

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि सभी आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य में ओ0एच0टी0 एवं ट्यूबवैल का कार्य स्थान न मिलने के कारण अवशेष है। कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था से रु0 7.755 लाख वापिस लिये जाने हैं, रु0 6.12 लाख की धनराशि लेबर सेस में समायोजित कर ली जायेगी। निर्देशित किया गया कि परियोजना अधिकारी सूडा द्वारा अवमुक्त धनराशि में से रु0 1.635 लाख सूडा को वापिस कर दी जायें तथा अवशेष धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दी जाये। यदि ओ0एच0टी0 एवं ट्यूबवैल के कार्य हेतु स्थान नहीं मिला तो उसकी धनराशि सूडा को वापिस कर दे तथा शीघ्र परियोजना का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित किया जाये। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि ओ0एच0टी0 एवं ट्यूबवैल के कार्य की धनराशि वापिस करने की दशा में अगस्त 2016 तक परियोजना का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, गोरखपुर / परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–29)

2. प्रतापगढ़ / अन्तू–579 / 470 आवास, प्रतापगढ़ / बेलहा–676 / 421 आवास, प्रतापगढ़ / सिटी–531 / 410 आवास

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि सभी आवास पूर्ण किये जा चुके हैं, जबकि इन्फ्रास्ट्रक्चर का कुछ कार्य अवशेष है, जिसे सितम्बर 2016 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्किंग कास्ट की पूर्ण धनराशि सूडा द्वारा अवमुक्त कर दी गयी है, जिस पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतापगढ़ की तीनों परियोजनाओं में 10 प्रतिशत की धनराशि रोकते हुए शेष धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिस कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हो रहा है। परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी द्वारा कमेटी बनायी गयी है, जो कार्यों की जांच कर रही है। जांच के पश्चात् ही जिलाधिकारी द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्देशित किया गया कि वर्किंग कॉस्ट की पूर्ण धनराशि कार्यदायी संस्था को तत्काल अवमुक्त कर दी जाये अन्यथा इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण करने में विलम्ब होगा और पुनः मूल्यवृद्धि की सम्भावना बनी रहेगी। मुख्यालय स्तर पर सेन्टेज की धनराशि लम्बित है, जिसे परियोजना पूर्ण करने के पश्चात् अवमुक्त कर दिया जायेगा। सितम्बर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, प्रतापगढ़ / परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–16)

3. प्रतापगढ़ / कुण्डा–272 / 160 आवास

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि कोई आवास अभी पूर्ण नहीं है, सभी आवास प्रगति पर हैं। इस परियोजना में पूर्ण धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है, जिस पर कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि सूडा द्वारा केवल अनु0–37 की धनराशि ही देय है, जो अवमुक्त कर दी गयी है। अनु0–83 में कोई धनराशि देय नहीं है क्योंकि अनु0–83 में रु0 6.63 लाख माइनस में है अर्थात कार्यदायी संस्था द्वारा वापिस की जानी है, जो कि सेन्टेज की धनराशि से समायोजित की जानी है। परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी द्वारा उक्त कार्यों की जांच करायी जा रही है तथा अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा एम0ओ0यू0 नहीं दिया गया, जिस कारण धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी। परियोजना प्रबन्धक द्वारा दो दिन के अन्दर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर कर डूडा को प्रेषित करने हेतु कहा गया। निर्देशित किया गया कि दो दिन में एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर कर डूडा को उपलब्ध कराये, ताकि धनराशि अवमुक्त की जा सके। थोड़े–थोड़े आवास पूर्ण कर आवंटित कर दिये जाये। धनराशि प्राप्त होते हुए शीघ्र परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र डूडा द्वारा सूडा को उपलब्ध करायें। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि दिसम्बर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, प्रतापगढ़ / परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–2)

4. बस्ती–163 / 114 आवास

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 106 आवास पूर्ण कर लाभार्थी को हस्तगत किये जा चुके हैं, 07 आवासों की छत पूर्ण हैं तथा 01 आवास प्लिन्थ लेवल पर है। इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हो चुका है। लाभार्थी अंशदान की मात्र रु0 1.00 लाख की धनराशि ही प्राप्त हुई है। निर्देशित किया गया कि लाभार्थी अंशदान की अवशेष धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दें तथा दो माह में परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दे। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि अक्टूबर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा बस्ती / परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–11)

5. लखनऊ / काकोरी–629 आवास

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि सभी आवास पूर्ण हो चुके हैं व इन्फ्रास्ट्रक्चर में पार्क व रिक्शा स्टैण्ड का कार्य भूमि न मिलने के कारण अवशेष है। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जो भूमि उपलब्ध है, उस पर अवैध कब्जा है। निर्देशित किया गया कि परियोजना अधिकारी कार्यदायी संस्था के साथ जिलाधिकारी से सम्पर्क कर अवैध कब्जा हटवाने हेतु प्रयास करें तथा जगह न मिलने की दशा में उतनी धनराशि सूडा को वापिस कर दी जाये। शीघ्र ही परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र डूडा द्वारा सूडा को उपलब्ध करायें। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि यदि पार्क व रिक्शा स्टैण्ड हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी तो सितम्बर 2016 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा तथा धनराशि वापिस करने की दशा में अक्टूबर 2016 तक परियोजना का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, लखनऊ / परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–8)

6. लखनऊ / मलिहाबाद–148 आवास

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि सभी आवास पूर्ण हो चुके हैं व इन्फ्रास्ट्रक्चर में पार्क व रिक्शा स्टैण्ड का कार्य भूमि न मिलने के कारण अवशेष है। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि संकुचित बस्ती होने के कारण भूमि मिल पाना सम्भव नहीं है। निर्देशित किया गया कि भूमि उपलब्ध न होने की दशा में उतनी धनराशि सूडा को वापिस कर दी जायें तथा शेष इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य शीघ्र पूर्ण कर परियोजना का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र डूडा द्वारा सूडा को उपलब्ध करायें। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि धनराशि वापिस करने की दशा में सितम्बर 2016 तक परियोजना का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, लखनऊ / परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–8)

7. लखनऊ / महोना–762 आवास

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 734 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 28 आवासों के लिए अभी भूमि मिली है तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी थोड़ा कार्य अवशेष है। नवम्बर 2016 तक ही समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा सकेगा। निर्देशित किया गया कि अवशेष आवासों पर तेजी से कार्य कराते हुए शीघ्र पूर्ण करायें तथा नवम्बर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, लखनऊ / परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–14)

8. मिर्जापुर / मिर्जापुर सिटी–536 / 457 आवास

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 437 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 20 आवास बनाये जाने अवशेष हैं। परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि 18 लाभार्थियों द्वारा अपने आवास स्वयं बना लिये गये हैं तथा छः माह से कार्य बन्द पड़ा है। निर्देशित किया गया कि जिन लाभार्थियों द्वारा स्वयं आवास बना लिये गये हैं, उनके स्थान पर नये लाभार्थियों का चयन कर लिया जाये तथा दो माह में आवासों को पूर्ण कर परियोजना का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र डूडा द्वारा सूडा को उपलब्ध करायें। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि यदि जुलाई 2016 तक लाभार्थियों 20 लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करा दी जाती है तो सितम्बर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, मिर्जापुर / परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–16)

9. मिर्जापुर / चुनार–216 आवास

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 185 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा 31 आवास प्रगति पर हैं। डूडा द्वारा अभी आवासों का आवंटन नहीं किया गया है तथा इस परियोजना में पूर्ण धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है, जिस पर परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि आवासों की गुणवत्ता ठीक न होने के कारण जिलाधिकारी महोदय द्वारा 50 प्रतिशत धनराशि ही अवमुक्त की गयी है, जिसकी यू0सी0 इसी माह प्राप्त हुई है। कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था को वर्किंग कॉस्ट के अतिरिक्त रु0 9.64 लाख सेन्टेज की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। निर्देशित किया गया कि आवासों की गुणवत्ता में सुधार किया जाये तथा मुख्यालय से अवमुक्त धनराशि का मिलान करा लिया जाये। शीघ्र परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र डूडा द्वारा सूडा को उपलब्ध करायें। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत

कराया गया कि अक्टूबर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।
(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, मिर्जापुर/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–16)

10. **इलाहाबाद/कोरांव–209/192 आवास**

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 48 आवास पूर्ण हो चुके हैं, 144 आवास प्रगति पर है। अनु0–83 की धनराशि अभी प्राप्त नहीं हुई है। लाभार्थी अंशदान की धनराशि भी अवमुक्त नहीं की गयी है। कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि अनु0–83 का प्रस्ताव शासन में लम्बित है। परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना निदेशक, डूडा द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.01.2014 से कार्यदायी संस्था को लाभार्थी अंशदान की राशि के बराबर कार्य छोड़ने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। निर्देशित किया गया कि सभी आवासों को शीघ्र आवंटित कर दें। लाभार्थी अंशदान के बराबर क्या–क्या कार्य छोड़ना है, उसका एक प्रारूप बना लें। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि दिसम्बर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।
(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, इलाहाबाद/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–16)

11. **इलाहाबाद/लाल गोपालगंज–396/366 आवास**

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 192 आवास पूर्ण हो चुके हैं, 174 आवास प्रगति पर है, जिन्हें सितम्बर 2016 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पूर्ण आवासों की आवश्यकतानुसार ही इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य करा दिया गया है। विद्युतीकरण की धनराशि मिलने पर कार्य करा दिया जायेगा। डूडा द्वारा लाभार्थी अंशदान की धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है, जिस पर परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना निदेशक, डूडा द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.01.2014 से कार्यदायी संस्था को लाभार्थी अंशदान की राशि के बराबर कार्य छोड़ने हेतु पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है। 192 आवासों को आवंटित कर दिया गया है। दिनांक 16.06.2016 को मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग द्वारा लाभार्थियों को आवंटित आवासों की चाबी दी जानी थी, परन्तु कार्यक्रम निरस्त होने के कारण चाबी का वितरण नहीं किया गया। निर्देशित किया गया कि लाभार्थी अंशदान की राशि के बराबर कार्य छोड़ दिया जाये। परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवशेष 174 आवासों को भी शीघ्र आवंटित कर दिया जाये। विद्युतीकरण का कार्य परियोजना की धनराशि पर अर्जित ब्याज की राशि से पूर्ण करा दिया जाये। परियोजना प्रबन्धक द्वारा ए.एण्ड.ओ.ई. की धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया तथा अवगत कराया गया कि ब्याज की धनराशि राज्य सरकार को वापिस की जाती है। निर्देशित किया गया कि अर्जित ब्याज की धनराशि लौटाने पर परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् ए.एण्ड.ओ.ई. अवमुक्त कर दिया जायेगा। ब्याज की धनराशि के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उक्त परियोजना में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों का अंशदान है इसलिए ब्याज की धनराशि भी उसी अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों को वापिस किया जायेगा। शीघ्र ही परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र डूडा द्वारा सूडा को उपलब्ध करायें। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि सितम्बर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।
(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, इलाहाबाद/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–2)

12. इलाहाबाद/शंकरगढ़–407 आवास

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि सभी आवास प्रगति पर है। लाभार्थी अंशदान की धनराशि भी अवमुक्त नहीं की गयी है, जिस पर परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना निदेशक, डूडा द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.01.2014 से कार्यदायी संस्था को लाभार्थी अंशदान की राशि के बराबर कार्य छोड़ने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। निर्देशित किया गया कि सभी आवासों को शीघ्र आवंटित कर दें। लाभार्थी अंशदान के बराबर क्या–क्या कार्य छोड़ना है, उसका एक प्रारूप बना लें। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि दिसम्बर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, इलाहाबाद/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–16)

13. फतेहपुर–216 आवास

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि सभी 216 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर में केवल सामुदायिक केन्द्र एवं लाइवलीहुड सेन्टर का कार्य अवशेष है। अगस्त 2016 तक कार्य पूर्ण कर जायेगा। लाभार्थी अंशदान के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 30.00 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया जा चुका है। रु0 5.00 लाख की अग्रिम धनराशि प्रारम्भ में समाज कल्याण निर्माण निगम को अवमुक्त की गयी थी, जो उनके द्वारा अभी तक लौटायी नहीं गयी है। निर्देशित किया गया कि अगस्त 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जाये।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, फतेहपुर/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–10)

14. भदोही–360 आवास

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 348 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 12 आवासों का कार्य प्रगति पर हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य अवशेष है। लाभार्थी अंशदान की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। विद्युत कनैक्शन के कार्य हेतु धनराशि की आवश्यकता है। कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्किंग कास्ट की पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ लाभार्थियों ने आंशिक अंशदान रु0 1000–2500 तक कुल 85,000.00 की राशि जमा की है। निर्देशित किया गया कि थोड़े–थोड़े आवास पूर्ण कराकर आवंटित करें व लाभार्थी से अंशदान जमा करायें, जो लाभार्थी अंशदान जमा नहीं कर रहे, उनको नोटिस देकर आवंटन निरस्त कर दें व उनके स्थान पर एक माह में नये लाभार्थियों का चयन कर आवंटन कराते हुए अंशदान की राशि जमा करायें। वाह्य विद्युतीकरण के कार्य में मूल्यवृद्धि की डीपीआर में स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त आवश्यक धनराशि इकाई द्वारा परियोजना की धनराशि पर अर्जित ब्याज की राशि से पूर्ण करा दिया जाये। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि नवम्बर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, भदोही/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–3)

15. चन्दौली/मुगलसराय फेस 2–273/219 आवास

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 175 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 44 आवासों का कार्य प्रगति पर हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर का कुछ कार्य अवशेष है। कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्किंग कास्ट की पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।

निर्देशित किया गया कि सितम्बर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, चन्दौली/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–3)

16. <u>गाजीपुर/सादात–36 आवास</u>

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि सभी आवास पूर्ण हो चुके हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। अगस्त 2016 तक आवास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थानीय निकाय को हस्तगत कर जायेगा। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सूडा द्वारा धनराशि अवमुक्त किये एक वर्ष हो चुका है, परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा एम0ओ0यू0 न करने के कारण धनराशि डूडा स्तर पर लम्बित है। सहा0 परि0 प्रबन्धक, मुख्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि शीघ्र ही एम0ओ0यू0 कर धनराशि अवमुक्त करा ली जायेगी। निर्देशित किया गया कि एम0ओ0यू0 कराकर धनराशि अवमुक्त कराये तथा अगस्त 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, गाजीपुर/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–19)

17. <u>आजमगढ़–465/348 आवास</u>

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 332 आवास पूर्ण कर लाभार्थी को हस्तगत किये जा चुके हैं तथा 16 आवास भी पूर्ण हैं, परन्तु लाभार्थी को हस्तगत नहीं हुये हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य अवशेष है, जो धनराशि मिलने पर पूर्ण कर दिया जायेगा। अनु0–83 की धनराशि अभी प्राप्त नहीं हुई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर का कुछ कार्य नगर पालिका द्वारा करा दिया गया है। सामुदायिक केन्द्र/लाइवलीहुड सेन्टर के लिए भूमि नहीं मिल रही है। कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि अनु0–83 का प्रस्ताव शासन में लम्बित है। निर्देशित किया गया कि 16 आवासों को शीघ्र लाभार्थी को हस्तगत कर दें। नगर पालिका द्वारा कराये गये इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्य के स्थान पर जिलाधिकारी से अनुमोदन लेकर उसी बस्ती में दूसरे स्थान पर करा सकते हैं। यदि कार्य कराया जाना सम्भव न हो तो धनराशि डूडा के माध्यम से सूडा मुख्यालय वापिस कर दें। सामुदायिक केन्द्र/लाइवलीहुड सेन्टर के लिए भूमि न मिलने की दशा में भी धनराशि वापिस कर दें। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि सामुदायिक केन्द्र/लाइवलीहुड सेन्टर की धनराशि वापिस करने की दशा में अक्टूबर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, आजमगढ़/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–19)

18. <u>कुशीनगर/सिवरेही मालवीया नगर–81 आवास</u>

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 75 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं तथा अग्रेडेशन के 06 आवास अवशेष है,जो अगस्त 2016 तक पूर्ण कर दिये जायेंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया इस परियोजना में इन्फ्रास्ट्रक्चर का कुछ अभ्यर्पण किया गया था, जिस कारण कार्यदायी संस्था से रु0 40.26 लाख वापिस लिये जाने हैं। निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था से वापिस ली जाने वाली धनराशि को यूपीपीसीएल को अवमुक्त किये जाने वाले सेन्टेज से समायोजित कर लिया जायें तथा अपग्रेडेशन के आवास एक माह में पूर्ण कर परियोजना का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित किया जाये। परियोजना

प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि अगस्त 2016 तक परियोजना का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा कुशीनगर/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–29)

19. <u>कुशीनगर/सिवरेही अम्बेडकर नगर–100 आवास</u>

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 81 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं तथा अग्रेडेशन के 19 आवास अवशेष है,जो अगस्त 2016 तक पूर्ण कर दिये जायेंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि इस परियोजना में इन्फ्रास्ट्रक्चर का कुछ अभ्यर्पण किया गया था। पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यवृद्धि के पश्चात् वर्किंग कास्ट रु0 189.12 लाख स्वीकृत की गयी, जिसमें रु0 वर्किंग कास्ट की रु0 160.84 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी थी अर्थात रु0 16.47 लाख की धनराशि अधिक अवमुक्त कर दी गयी है। इस प्रकार कार्यदायी संस्था से रु0 16.47 लाख वापिस लिये जाने हैं। निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था से वापिस ली जाने वाली धनराशि को यूपीपीसीएल को अवमुक्त किये जाने वाले सेन्टेज से समायोजित कर लिया जायें तथा अपग्रेडेशन के आवास एक माह में पूर्ण कर परियोजना का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित किया जाये। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि अगस्त 2016 तक परियोजना का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, कुशीनगर/परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–29)

20. <u>सन्त कबीर नगर/हरिहरपुर–252/144 आवास</u>

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि 48 आवास अगस्त 2016 तक पूर्ण हो जायेंगे तथा शेष 96 आवास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य नवम्बर 2016 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। लाभार्थी अंशदान की धनराशि उपलब्ध नहीं की करायी गयी तथा वर्किंग कॉस्ट में रु0 5.00 लाख की धनराशि कम अवमुक्त की गयी है, जिस पर परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान 2–3 मजदूरी ही कार्य करते हुए पाये गये। कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य अत्यन्त धीमी गति से किया जा रहा है। लाभार्थी अंशदान की धनराशि मिलनी सम्भव नहीं है। रु0 5.00 लाख की अग्रिम धनराशि प्रारम्भ में समाज कल्याण निर्माण निगम को अवमुक्त की गयी थी, जो उनके द्वारा अभी तक लौटायी नहीं गयी है। निर्देशित किया गया कि लाभार्थी अंशदान की राशि के बराबर कार्य छोड़ दिया जाये तथा थोड़े–थोड़े आवास पूर्ण कर आवंटित कर दिये जायें। नवम्बर 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, सन्त कबीर नगर/परि0 प्रबन्धक, यूपीपीसीएल, यूनिट–11)

21. <u>कौशाम्बी/अझूहा–144 आवास</u>

परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि सभी आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर का कुछ कार्य अवशेष है। कुछ आवासों में दरवाजों का कार्य शेष है। लाभार्थी अंशदान की राशि डूडा द्वारा अवमुक्त नहीं की गयी है। लाभार्थी अंशदान के बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य छोड़ने हेतु अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि वर्किंग कास्ट में रु0 14.10 की धनराशि अवशेष है, जिस पर कार्यक्रम अधिकारी, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि मात्र रु0 11.10 लाख ही अवशेष है, जो शीघ्र ही अवमुक्त कर दिया जायेगा। परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा अवगत कराया गया कि 64 आवास बी0पी0एल0 लाभार्थियों को आवंटित किये गये हैं, जिनके द्वारा

आंशिक अंशदान ही जमा किया गया है। निर्देशित किया गया कि शासनादेश के अनुसार बी0पी0एल0 के अतिरिक्त ई0डब्ल्यू0एस0 / एल0आई0जी0 श्रेणी के लाभार्थियों को आवासों का आवंटन किया जा सकता है। लाभार्थी से पूर्ण अंशदान जमा करायें, जो लाभार्थी अंशदान जमा नहीं कर रहे, उनको नोटिस देकर आवंटन निरस्त कर दें व उनके स्थान पर एक माह में नये लाभार्थियों का चयन कर आवंटन कराते हुए अंशदान की राशि जमा करायें। वाह्य विद्युतीकरण का कार्य परियोजना की धनराशि पर अर्जित ब्याज की राशि से पूर्ण करा दिया जाये। कार्यदायी संस्था द्वारा शीघ्र परियोजना का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित किया जाये। परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि सितम्बर 2016 तक परियोजना का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, डूडा, कौशाम्बी / परि0 प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट–2)

अन्त में निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. जिन परियोजनाओं में धनराशि वापिस ली जानी है, उक्त को यूपीपीसीएल को देय सेन्टेज की धनराशि से दी जाने वाली धनराशि से समायोजित कर लें।
2. जिन परियोजनाओं में अभ्यर्पण है, उनमें ब्याज सहित धनराशि केन्द्र सरकार को वापिस की जानी है, ऐसी परियोजनाओं में परियोजनावार अर्जित ब्याज की गणना कर सूडा मुख्यालय को अवगत करायें।
3. फतेहपुर–216 आवास एवं सन्त कबीर नगर–252 / 144 आवासों की परियोजनाओं में मोबालाइजेशन एडवान्स क्रमशः 5.00–5.00 लाख समाज कल्याण निर्माण निगम को अवमुक्त किया गया था, जो अभी तक यूपीपीसीएल को नहीं दिया गया। वित्त नियन्त्रक इसे चेक कराकर समाज कल्याण निर्माण निगम के सेन्टेज से काटकर यूपीपीसीएल को अवमुक्त करायें।
4. माह दिसम्बर 2016 तक प्रत्येक दशा में सभी परियोजनाओं को पूर्ण कर दिया जायें।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक, सूडा

संख्या– 1629 / 59 / पन्द्रह / IHSDP / BSUP / सरे0–XIII / 2016–17 दिनांक : 28 जुलाई, 2016

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, सूडा, लखनऊ।
5. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ।
6. सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक, सूडा